Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में आबकारी निरीक्षक को दलाल सहित 15 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **उदयपुर में पेंशन लिपिक को 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *15 फरवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर आज प्रदेश में दो स्थानों पर कार्यवाही करने हुये **भीलवाड़ा** में आबकारी निरीक्षक आशीष शर्मा एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) अर्पित उर्फ यजुवेन्द्र हाडा को 15 हजार रुपये तथा **उदयपुर** में पेंशन लिपिक को 5 हजार रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी लाईसेंसशुदा शराब की दुकान पर केस नहीं बनाने एवं नाजायज परेशान नहीं करने की एवज में आबकारी निरीक्षक आशीष शर्मा द्वारा अपने दलाल अर्पित उर्फ चिंकू उर्फ यजुवेन्द्र हाडा के माध्यम से पिछले 9 माह की मासिक बन्धी के हिसाब से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की भीलवाड़ा प्रथम के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती दीपिका राठौड** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये 1–**आशीष शर्मा** पुत्र श्री ज्ञानशंकर शर्मा निवासी सुंदर निवास, सर्किट हाउस के पीछे, गांधीनगर, भीलवाड़ा हाल आबकारी निरीक्षक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, भीलवाड़ा एवं 2–**अर्पित उर्फ चिंकू उर्फ यजुवेन्द्र हाडा** पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह निवासी बी–125, महावीर मार्ग, संजय कालोनी, भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 15 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

इसी प्रकार श्री सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी माताजी की पेंशन स्वीकृत कराने की एवज में पेंशन लिपिक राकेश कुमार 5 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की उदयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री दिलीप सिंह एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राकेश कुमार पुत्र श्री चौथमल गावरी निवासी म.नं. 547/14, राजीव नगर, खेमपुरा, उदयपुर हाल लिपिक स्टेशन हैड क्वार्टर छावनी, एकलिंगपुरा, उदयपुर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के संबंधित अधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न टीमों द्वारा आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।